सफलता की कहानियां...

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर

प्राथमिक भूमि विकास बैंक जयपुर की स्थापना क्रमांक 1295 एल दिनांक 30 नवंबर, 1959 को हुई। इस प्रकार पिछले 54 वर्षो से प्राथमिक भूमि विकास बैंक जयपुर ऋण वितरण एवं वसूली के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त कर रहा है। **बैंक अध्यक्ष श्री लादूराम एवं सचिव श्री शिव दयाल मीणा** के नेतृत्व में नवाचार गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं बेहतर डॉक्यूमेन्टेशन के आधार पर प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली में निम्न नए तरीकों को अपनाया गया है:-

पारंपरिक कार्यो में सेच्यूरेशन, नए क्षेत्रों में प्रवेश

जयपुर जिला पिछले 15-20 वर्षो से डार्क जोन में होने के कारण सिंचाई साधनों के उद्धेश्य के लिए ऋण वितरण करीब-करीब बन्द हो गया है। ट्रैक्टर ऋण वितरण के क्षेत्र में सेच्यूरेशन की स्थिति में पहुंच गया है एवं साथ ही क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की भरमार होने के कारण परम्परागत उद्धेश्यों में कठिनाई आ रही है।

जिसके चलते प्राथमिक बैंक द्वारा नए ऋण उद्धेश्यों को बढावा देते हुए डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ग्रीन हाउस, पाईप लाईन, स्कूल भवन/शिक्षण संस्थान, ईंट भट्टा, आवास ऋण तथा ग्रामीण गोदाम जैसे उद्धेश्यों हेतु ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन उद्धेश्यों की जानकारी सदस्यों को देने के लिए पम्पलेट इत्यादि छपवाकर जिले में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

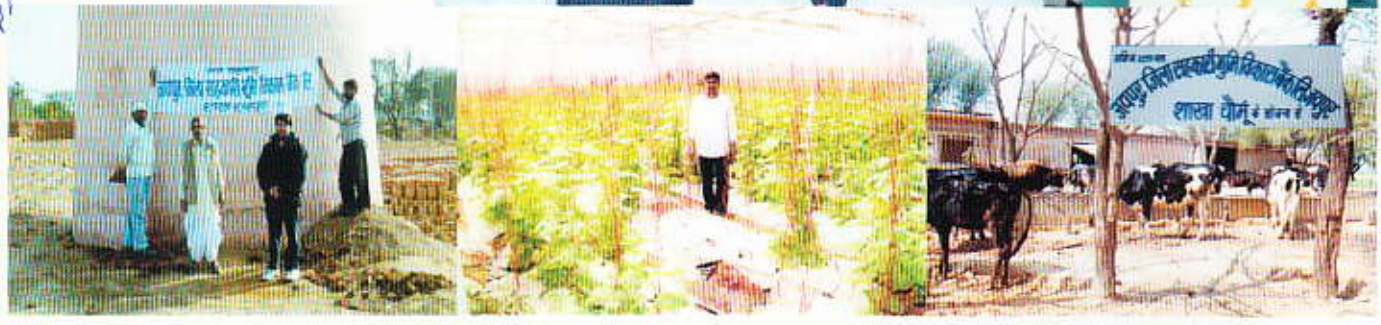

ग्रीन हाउस, स्कूल भवन, डेयरी, ईंट भट्टा हेतु दिए गए ऋणों के ऋणी सदस्यों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ईट भट्टा एवं ग्रीन हाउस परियोजनाएं आय बढाने में सहायक बन रही है। ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने के कार्यों से अच्छी आमदनी हो रही है और समस्त खर्चे निकालने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 3 से साढे 3 लाख रूपए की बचत हो रही है।

2. वसूली

वसूली कार्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर की सफलता का मूल आधार है तथा अच्छी वसूली बैंक की आर्थिक स्थिति की द्योतक है। इसके लिए प्राथमिक बैंक द्वारा कृषकों से निरन्तर संपर्क रखा जा रहा है। मांग नोटिस डाक द्वारा ना भेजा जा कर बैंक कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भिजवाए जा रहे हैं तथा अवधिपार के सभी मामलों में सहकारी अधिनियम की धारा 99 एवं 100 के अन्तर्गत नोटिस/आदेश/कुर्की वारन्ट तैयार कर कार्यवाही की जाती है। ऋण सदस्यों को एकमुश्त समाधान योजना एवं मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर अवधिपार ऋणियों को लाभान्वित किया गया। इससे बैंक की अवधिपार ऋणों की वसूली में वृद्धि हुई है और एन.पी.ए. में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में एन.पी.ए. 30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 27 प्रतिशत रह गया है जो ऋणी सदस्य निरन्तर समय पर किश्तें जमा करवाते है उन्हें बैंक की आमसभा में पुरस्कृत किया जाता है जिससे अन्य सदस्यों में समय पर ऋण की किश्तें जमा कराने की भावना जागृत होती है। इसी प्रकार ऋण वितरण व वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

3. कम्प्यूटरीकरण-

बैंक द्वारा बैंक के लेखों/लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के कार्य को मैन्यूअल के स्थान पर प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं में कम्प्यूटराईजेशन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार बैंक द्वारा परम्परागत विधियों के स्थान पर नवाचार को अपना कर ऋण वितरण एवं वसूली कार्य को अंजाम दिया जाता है जिससे बैंक राज्य के अग्रणी प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में शामिल है।

राशि (लाखों में)

क्र0	विवरण	वर्ष 2008-09	वर्ष 2012-13
1	ऋण वितरण	1548.03	2120.08
2	ऋण बकाया सदस्यों से	6372.12	8345.16
3	हिस्सा राशि	447.98	517.98
4	सदस्यता	78017	81796
5	ऋण वसूली प्रतिशत	56.50	55.15
6	संचित लाभ	593.12	731.94